संख्या-533/2018/500/22-2-2018-17(86)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 28 जून, 2018**

विषय केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धनजी अहिर पुत्र श्री महेन्द्र अहिर, निवासी जनपद-बलिया की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13251/प्रोबेशन-3/ फार्म-ए(एम-02-05-2017) दिनांक-03-04-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 03-04-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी धनजी अहिर पुत्र श्री महेन्द्र अहिर, निवासी-जनाड़ी, थाना-कोतवाली वर्तमान-दुबहड़, जनपद-बलिया का रहने वाला है। बन्दी ने जमीन के विवाद को लेकर दिनांक 24-11-1984 को दिन में लगभग 11:00 बजे 11 सअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व लाठी से हमला कर रामाधार की हत्या कर दी तथा 03 अन्य को गंभीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-79/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 201, 147 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया के आदेश दिनांक 07.06.1989 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित अपील में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.10.2001 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.02.2017 तक 15 वर्ष 02 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 01 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **बलिया की अध्यक्षता में गठित समिति** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने जमीन के विवाद को लेकर दिनांक 24-11-1984 को 11 सअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व लाठी से हमला कर रामाधार की हत्या करने एवं 03 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता**,** जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी धनजी अहिर पुत्र श्री महेन्द्र अहिर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी धनजी अहिर (बन्दी संख्या-41310) पुत्र श्री महेन्द्र अहिर, निवासी जनपद-बलिया के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-533/2018/500(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बलिया।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-533/2018/500/22-2-2018-17(86)/2018

दिनांक 28 जून, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धनजी अहिर (बन्दी संख्या-41310) पुत्र श्री महेन्द्र अहिर, निवासी-जनाड़ी, थाना-कोतवाली वर्तमान-दुबहड़, जनपद-बलिया का रहने वाला है। बन्दी ने जमीन के विवाद को लेकर दिनांक 24-11-1984 को दिन में लगभग 11:00 बजे 11 सअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व लाठी से हमला कर रामाधार की हत्या कर दी तथा 03 अन्य को गंभीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-79/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 201, 147 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया के आदेश दिनांक 07.06.1989 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित अपील में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.10.2001 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.02.2017 तक 15 वर्ष 02 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 01 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **बलिया की अध्यक्षता में गठित समिति** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने जमीन के विवाद को लेकर दिनांक 24-11-1984 को 11 सअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व लाठी से हमला कर रामाधार की हत्या करने एवं 03 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता**,** जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी धनजी अहिर पुत्र श्री महेन्द्र अहिर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in